संरक्षा बुलेटिन

मध्य रेलवे, सोलापूर मंडल

मासिक बुलेटिन नं- 06 ऑक्टोबर 2018

****

'संरक्षा नियमों का पालन आप पर निर्भर है'

****

भारतीय रेल पर निम्नलिखित असामान्य घटनाएं हुए है :-

1. दिनांक 11/10/2018 को एल.जे.एन मंडल के दोमिनगृह स्टेशन का होम सिग्नल पार करने के बाद गाड़ी क्रमांक 13020 के फ्रंट एस.एल.आर. के पिछले बोगी के दो पिहियां रेल पटरी से उतर (डीरेल हो) गए ।

कारण : ट्रॅक के निकट पड़े रेल पैनल फ्रंट एस.एल.आर के पहियों के चाल में बाधित हुआ ।

जिम्मेदारी : इंजीनियरी विभाग के कर्मचारी

2. दिनांक 25/10/2018 को के.एल.एम.आर मे करीब 11.40 बजे मेमू 66611 के लीडिंग ट्रक का मोटर कोच 13031 प्वाइंट नंबर 53 पर डीरेल हुआ । उक्त प्वाइंट नंबर 53 करीब 11:15 बजे से 12:15 बजे तक सिग्नल व दूर संचार डिसकनेक्शन मेमो के अधीन था ।

कारण : डिसकनेक्शन मेमो के आधीन प्वाइंट नंबर 53 को परिचालन विभाग के कर्मचारियां द्वारा ठीक तरह से सेट, क्लैम्प एवं लॉक नही किया गया था ।

जिम्मेदारी : परिचालन विभाग के कर्मचारियों द्वारा प्वाइंट की ठीक तरह से सेटींग, क्लैम्पिंग एवं लॉकिंग सुनिश्चित नहीं की गई ।

नियम का उल्लंघन : सहायक नियम 3.51-1, 3.51-3

3. दिनांक 19/10/2018 को करीब 01.22 बजे बैलास्ट ट्रेन (गिट्टी गाड़ी) बी.ए.एम. से थ्रू गई और बी.ए.एम – जी.टी.ए. खंड के बीच 604/11 कि.मी पर करीब 1.25 बजे 2 बी.ओ.बी.वाई.एन वैगन (क्रमश : इंजन से 8 वे और 9 वे वैगन्स) रेल पटरी से उत्तर (डीरेल हो) गए ।

Scanned by CamScanner

कारण : बॉटम डिस्चार्ज डोअर हिंज क्षय हुआ था और वैगन नंबर एस.ई.सी.आर. 73140921962 बी.ओ.बी.वाई.एन का हिंज टूटा हुआ था और दरवाजा यात्रा के दौरान कंपन के कारण दरवाजा ट्रॅक पर गिर गया और रिअर (आखिरी) ट्रॉली से फस गया जिससे पहिए चढने के कारण पहिए पटरी पर से उतर (डीरेल हो) गए ।

जिम्मेदारी : यांत्रिक विभाग द्वारा सही तरह से परीक्षण किए बिना वैगन चलाए जाने के लिए अनुमति देने के कारण

4. दिनांक 11/10/2018 को साईनगर शिर्डी स्टेशन के तीसरे लूप लाइन पर दो वॅगन बी.ओ.बी.वाई.एन. डिरेल हुए ।

कारण : अनइवन अनलोडिंग तथा गतिप्रबंधक (5 kmph) नही लागु करना ।

जिम्मेदारी : 1. अनइवन (असमतल) अनलोडिंग और 5 कि.मी. प्रतिघंटे का गति बोर्ड नहीं प्रदर्शित करने के कारण इंजीनिअर विभाग के कर्मचारी.

2. डयुटी पर तैनात उप स्टेशन प्रबंधक/ साईनगर शिर्डी द्वारा इंजन कर्मीदल को 5 कि.मी. प्रतिघंटे का सतर्कता आदेश जारी नही करने के कारण ।

विशेष आदेश

स्टेशन मास्टर/सहाय्यक स्टेशन मास्टर/स्टेशन एव केबिन कर्मचारी

1. शॉर्ट कट पध्दतियों को नहीं अपनाना चाहिए ।
2. अनधिकृत व्यक्तियों को ब्लॉक उपकरण/पैनल संचालन के लिए अनुमति नहीं दी जाए ।
3. ब्लॉक उपकरण और / या पैनल लॉक किए बिना स्टेशन केबिन नहीं छोड़नी चाहिए ।
4. यदि लाइन ब्लॉक हुई हो, तो उस लाइन को नियंत्रित करने वाले सिग्नलों के बटन या लीवर पर कॉलर रखा जाए, लीवर / बटन कॉलर रखना भू न जाएं ।
5. सामान्य गाड़ी संचालन के लिए वॉकी - टॉकी सेट का प्रयोग न करें ।

(सुरेश कुमार एन.टी)
वरिष्ठ मंडल संरक्ष अधिकारी, सोलापूर

Scanned by CamScanner